राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक : एफ. 77(22)खा.वि./सत./DGRO/2016 दिनांक : 23.11.2016

जिला रसद अधिकारी,
समस्त राजस्थान।

विषय :– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों के निस्तारण के संबंध में।

संदर्भ :– विभागीय अ.शा. पत्र क्रमांक एफ. 13(49)खा.वि./आवंटन/ 2015–II दिनांक 11.11.2016 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 15 की उप धारा (1) के अन्तर्गत समस्त जिला कलक्टर्स को अपने–अपने अधिकारिता के जिले हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 24.09.2013 को जारी अधिसूचना के द्वारा जिला शिकायत निवारण अधिकारी (डी.जी.आर.ओ.) के तहत पदाभिहित किया गया है।

दिनांक 27.10.2016 को प्रमुख शासन सचिव (खाद्य) महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई विडियो कॉन्फ्रेंस में भी **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत राजस्थान सम्पर्क पोर्टल, जन सुनवाई, राष्ट्रपति/प्रधानमंत्री कार्यालय एवं विभाग में प्राप्त लिखित शिकायतों** का निस्तारण जिला शिकायत निवारण अधिकारी (डी.जी.आर.ओ.) के तहत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है ताकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जा सके।

अतः आपसे अनुरोध है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्राप्त शिकायतों को जिला शिकायत निवारण अधिकारी (डी.जी.आर.ओ.) के स्तर से दर्ज किया जाकर, 15 दिवस के भीतर त्वरित निस्तारण कर प्रार्थी को सूचित करें, साथ ही मासिक प्रगति रिपोर्ट से विभाग को भी अवगत करायें।

भवदीय,

(राम निवास)
अतिरिक्त खाद्य आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खाद्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
6. सहायक आयुक्त, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।

अतिरिक्त खाद्य आयुक्त

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ 17(15)खा.वि./न्याय/2010 जयपुर, दिनांक 7.12.2015

समस्त,
जिला कलक्टर (रसद),
राजस्थान।

विषयः—सतर्कता समितियों का गठन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण।

महोदय,

राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरित की जाने वाली नियंत्रित वस्तुयें उपभोक्ताओं को समय पर तथा निर्धारित उचित मूल्य पर उपलब्ध हो इस पर नियंत्रण एवं निगरानी रखने एवं उचित मूल्य दुकानों के कार्य की समीक्षा हेतु सतर्कता समितियों के गठन बाबत पूर्व में जारी निर्देश दिनांक 11.05.1999 एवं 24.06.2014 का अतिक्रमण करते हुये विभिन्न स्तरों पर सतर्कता समितियों के गठन, उनके कार्य एवं कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निम्न निर्देश दिये जाते है :—

(अ) जिला स्तरीय सतर्कता समिति

जिला स्तरीय सतर्कता समिति में निम्न लिखित सदस्य होंगे :—

1. जिला कलक्टर	अध्यक्ष
2. जिले के समस्त सांसद	सदस्य
3. जिले के समस्त विधायक	सदस्य
4. जिला प्रमुख	सदस्य
5. जिले के समस्त प्रधान/पंचायत समिति	सदस्य
6. जिले की समस्त नगर पालिकाओं/परिषदों/निगमों के अध्यक्ष	सदस्य
7. उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार	सदस्य
8. उपभोक्ता संगठनों के दो प्रतिनिधि (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत)	सदस्य
9. जिला रसद अधिकारी	सदस्य सचिव

इस समिति का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण जिला होगा।

(ब) तहसील स्तरीय सतर्कता समिति

1. उप खण्ड अधिकारी	अध्यक्ष
2. प्रधान पंचायत समिति (उपखण्ड मुख्यालय वाली तहसीलों में अध्यक्ष सम्बन्धित उपखण्ड-अधिकारी होगें एवं तहसीलदार मात्र सदस्य होगें)	उपाध्यक्ष
3. स्थानीय निकाय के दो सदस्य जिनका मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जावेगा।	सदस्य
4. पंचायत समिति के दो सदस्य, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जावेगा।	सदस्य
5. स्थानीय विधायक	सदस्य
6. विकास अधिकारी पंचायत समिति	सदस्य
7. दो उपभोक्ता (मनोनयन द्वारा)	सदस्य
8. सामाजिक/उपभोक्ता संगठन के दो सदस्य (मनोनयन द्वारा)	सदस्य
9. सम्बन्धित प्रवर्तन अधिकारी/प्रवर्तन निरीक्षक	सदस्य

इस समिति का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण तहसील क्षेत्र होगा। उपखण्ड मुख्यालय पर स्थित तहसीलों एवं अन्य तहसीलों में क्रमांक 7 एवं 8 के सदस्यों का मनोनयन उपखण्ड अधिकारी द्वारा किया जावेगा।

(स) उचित मूल्य दुकान सतर्कता समिति

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समिति द्वारा किया जावेगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

(1) शहरी क्षेत्र के लिये

1. वार्ड पार्षद	अध्यक्ष
2. सामाजिक कार्यकर्ता (दो)	सदस्य
3. उपभोक्ता (दो)	सदस्य
4. सेवानिवृत अधिकारी/कर्मचारी (स्थानीय निवासी)	सदस्य

मनोनयन जिला मुख्यालय पर जिला कलक्टर द्वारा एवं अन्य स्तर पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(2) ग्रामीण क्षेत्र के लिये

1. सरपंच	अध्यक्ष
2. उपभोक्ता (एक)	सदस्य
3. सम्बन्धित विद्यालय का प्रधानाध्यापक/अध्यापक	सदस्य
4. सेवानिवृत अधिकारी/कर्मचारी (स्थानीय निवासी)	सदस्य
5. उपभोक्ता/सामाजिक संगठन का कार्यकर्ता	सदस्य
6. पंच (एक)	सदस्य

मनोनयन सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी द्वारा किया जावेगा।

विभिन्न स्तर पर गठित की जाने वाली सतर्कता समितियों का कार्य एवं कार्यप्रणाली निम्नानुसार होगी:–

1 उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समितियों का कार्य

उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समितियों का मुख्य कार्य उचित मूल्य दुकान पर उपभोक्ताओं के लिए आवंटित आवश्यक नियंत्रित वस्तुओं की प्राप्ति एवं वितरण व्यवस्था, दुकान संचालन एवं वितरण पर निगरानी रखना होगा। समिति इस बात को सुनिश्चित करेगी कि उचित मूल्य की दुकान पर आवंटित की गई नियंत्रित वस्तुएं आवंटनानुसार पहुंचती है एवं उनका नियमानुसार सही उपभोक्ता/लाभान्वित होने वाले उपभोक्ताओं को वितरण किया जाता है।

उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक अध्यक्ष द्वारा प्रत्येक माह में एक बार आवश्यक रूप से बुलाई जायेगी एवं बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार कर एक प्रति उच्च स्तर की सतर्कता समिति को प्रेषित किया जायेगा। सतर्कता समिति को आवंटित वस्तुओं की सूचना दिये जाने का दायित्व संबंधित जिला रसद अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार का होगा एवं उसका प्रचार–प्रसार भी किया जायेगा, जिसमें उचित मूल्य की दुकान, संबंधित ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर आवंटित वस्तुओं की पहुंच एवं कुल आवंटित मात्रा का अंकन किया जाना सम्मिलित है। उचित मूल्य दुकान पर आवंटित वस्तुओं की आमद की सूचना दिये जाने के पश्चात् उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समिति के कम से कम दो सदस्यों द्वारा इन वस्तुओं की पहुंच का स्टॉक रजिस्टर में प्रमाणीकरण करने के पश्चात् ही वितरण प्रारम्भ किया जा सकेगा एवं उसकी यथासंभव देखरेख में ही उचित मूल्य की वस्तुओं का वितरण किया जायेगा एवं उपस्थित सदस्यों द्वारा यह भी प्रमाणित करना आवश्यक होगा कि उपभोक्ताओं को वस्तुओं का वितरण सही रूप से हुआ है।

उक्त सतर्कता समिति द्वारा की गई मीटिंगों के कार्यवाही विवरण हेतु एक रजिस्टर का संधारण किया जायेगा, जिसे किसी भी प्राधिकृत अधिकारी/जनप्रतिनिधि को निरीक्षण करने हेतु चाहने पर प्रस्तुत किया जा सकेगा। समिति यह सुनिचिश्त करेगी, कि नियंत्रित वस्तुओं के नमूने (सैम्पल) भी प्रत्येक दुकान पर रखे जायें।

संबंधित प्रवर्तन अधिकारी/प्रवर्तन निरीक्षक का यह दायित्व होगा कि वह अपने क्षेत्र में स्थित सतर्कता समितियों की होने वाली बैठकों में आवश्यक रूप से भाग लें तथा सतर्कता समिति के सदस्यों को समिति के संचालन बाबत अधिक से अधिक जानकारी दें एवं उनके मार्फत इन दुकानों का सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करें।

उक्त समिति के सदस्यों द्वारा जो शिकायतें जिला रसद अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार को प्रेषित की जायेगी, उनको एक रजिस्टर में अंकित किया जायेगा और उन पर की गई कार्यवाही से शिकायतकर्ता को अवगत कराया जायेगा। उचित मूल्य की दुकानदार को आगामी माह का कोटा तभी दिया जाये, जब पूर्व माह के कोटे की प्राप्ति एवं उचित वितरण का प्रमाणीकरण उक्त समिति के कम से कम दो सदस्यों द्वारा प्रदान कर दिया जाता है। समिति के सदस्यों को उचित मूल्य की दुकान के रिकॉर्ड अवलोकन का अधिकार होगा।

यदि सतर्कता समिति के किसी सदस्य के खिलाफ कोई सारगर्भित शिकायत प्राप्त होती है, तो बाद जांच मनोनयन हेतु प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा कारणों का उल्लेख करते हुए जिला कलक्टर के अनुमोदन पश्चात् ऐसे सदस्य को हटाया जा सेगा।

उक्त सतर्कता समिति के मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष होगा। समिति के गठन की सूचना आम जनता को कराई जाये।

2 तहसील स्तरीय सतर्कता समिति

तहसील स्तरीय सतर्कता समिति का मुख्य कार्य तहसील क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं का आवंटन/वितरण व्यवस्था पर नजर रखना एवं उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समितियों के कार्यों की समीक्षा करना होगा।

तहसील स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक अध्यक्ष की सहमति से नियत दिवस एवं समय पर सदस्य, सचिव द्वारा प्रत्येक माह में एक बार आवश्यक रूप से बुलाई जायेगी। बैठक कार्यवाही विवरण जिला स्तरीय सतर्कता समिति को प्रेषित करना होगा।

3 जिला स्तरीय सतर्कता समिति

जिला स्तरीय सतर्कता समिति का मुख्य कार्य जिला स्तर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रभावी क्रियान्विति सुनिश्चित करना होगा। उक्त समिति की सहमति से नियत तिथि एवं समय पर सदस्य द्वारा दो माह में एक बार आवश्यक रूप से बुलाई जायेगी एवं कार्यवाही विवरण खाद्य आयुक्त को भेजा जायेगा।

कृपया सतर्कता समितियों के गठन/मनोनयन संबंधी कार्य को शीघ्र पूर्ण करने एवं उन्हें आर्थिक क्रियाशील करने के बारे में उपरोक्तानुसार अपेक्षित कार्यवाही शीघ्र की जाये एवं की गई कार्यवाही से विभाग को अवगत कराया जाये। उक्त सतर्कता समितियों की बैठकें नियमानुसार आयोजित कराना भी सुनिश्चित करें।

उपरोक्त सभी स्तरीय सतर्कता समितियों में सदस्यों का मनोनयन करते समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाएँ/पिछड़ा वर्ग आदि को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाये।

भवदीय,

(महावीर प्रसाद शर्मा) ५।१२
अतिरिक्त खाद्य आयुक्त

प्रतिलिपि:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान।
3. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
4. समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान।

अतिरिक्त खाद्य आयुक्त ५।१२

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ 17(15)खा.वि./न्याय/2010 जयपुर, दिनांक 11.03.2016

संशोधित आदेश

सर्तकता समितियों का गठन एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण के संबंध में विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश समसंख्यक पत्र दिनांक 07.12.2015 में संशोधन की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए निर्णयानुसार दिशा–निर्देश के बिन्दु संख्या–ब के अन्तिम पैरा में निम्न प्रकार संशोधन किया जाता है–

"इस समिति का कार्यक्षेत्र संपूर्ण तहसील क्षेत्र होगा। उपखण्ड मुख्यालय पर स्थित तहसीलों एवं अन्य तहसीलों में क्रमांक 7 एवं 8 के सदस्यों का मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।"

ह०
(महावीर प्रसाद शर्मा)
अतिरिक्त खाद्य आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव (खाद्य), राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
4. जिला कलक्टर (रसद), समस्त, राजस्थान।
5. जिला रसद अधिकारी, समस्त, राजस्थान।
6. समस्त अधिकारीगण मुख्यालय, खाद्य विभाग, जयपुर।
7. रक्षा पत्रिका।

11.3.16
अतिरिक्त खाद्य आयुक्त

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

जयपुर, दिनांक–२१/५/२०१५–

अधिसूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (वर्ष 2013 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 20) की धारा 18 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (वर्ष 1986 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 68) की धारा 9 के खण्ड (ख) के अन्तर्गत स्थापित राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 16 में विनिर्दिष्ट राज्य खाद्य आयोग की शक्तियों का उपयोग और उसके कृत्यों का पालन करने के लिये राजस्थान राज्य खाद्य आयोग के रूप में अभिहित करती है।

एफ 13(10)(4)खा.वि./खा.सु.अ./14
राज्यपाल की आज्ञा से,

21/5/15

(आभा बेनीवाल)
उपायुक्त एवं उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य विभाग, राज. जयपुर।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
5. समस्त जिला कलक्टर्स, राजस्थान।
6. पंजीयक, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राज. जयपुर।
7. निजी सहायक, उपायुक्त (प्रथम/द्वितीय), खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान।
9. निदेशक, केन्द्रीय मुद्रणालय, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि राजस्थान के असाधारण राजपत्र में अधिसूचना का प्रकाशन कराया जाकर प्रति विभाग को भिजवावें।
10. रक्षा पत्रिका।

21/5/15

उपायुक्त एवं उप शासन सचिव